Annexure-28

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072023-247006
CG-DL-E-04072023-247006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
No. 468] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

मि. सं. 9-1/2010(पीएस/मिस.) भाग खण्ड II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ड़) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:-

1. **लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन:- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकता है। (2) यह सभी नियमन दिनाँक 01 जुलाई, 2023 से लागू व प्रभावी होंगे।**

2. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018 में विनियम 3, के उप-विनियम 3.10, में निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-**

3.10 "सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए नेट/सेट /स्लेट न्यूनतम मानदंड होगा।

परिणामतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 में विनियम 3, के उप विनियम 3.10 को विलोपित कर दिया गया है।

प्रो. मनिष जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./249/2023-24]

टिप्पणी : प्रमुख विनियम का प्रकाशन भारत का राजपत्र, असाधारण भाग III, खण्ड 4 के अंतर्गत संदर्भ सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 को हुआ था।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

No. F. 9-1/2010(PS/MISC)Pt. Vol. II.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulations, 2023.**

   (2) They shall come into force with effect from 1st July, 2023.

2. **In the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, in regulation 3, for sub-regulation 3.10, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-**

3.10 "NET/SET/SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of Assistant Professor for all Higher Education Institutions."

As a consequence, in regulation 3, for sub-regulation 3.10, of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (1st Amendment) Regulations, 2021 stands deleted.

Prof. MANISH JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./249/2023-24]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 *vide* No. F. 1-2/2017 (EC/PS) dated 18th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA